

दुध-उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड

की

उप-विधियाँ

दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति की उप-विधियाँ

1. **नाम :-** इस समिति का नाम दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड होगा । इसका निबन्धित पता ग्राम पत्रालय थाना अनुमंडल जिला होगा ।

इस समिति की बिहार को-ऑपरेटिव सोसायटीज ऐक्ट (कानून) 6 सन् (1935) के मुताबिक रजिस्ट्री हुई है ।

अगर निबन्धित पते में कोई अदल-बदल हो तो 15 दिनों के अंदर इसकी सूचना रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटीज, बिहार को-ऑपरेटिव फेडरेशन तथा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारिता संघ को भेजी जायेगी । निबन्धित पता में अदल-बदल उपविधियों में आवश्यक संशोधन करने के पश्चात ही होगा ।

2. **उद्देश्य :-** इस समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-

- (1) सदस्यों के शुद्ध दुग्ध उत्पादन एवं वृद्धि के लिए आवश्यक कार्य-कलाप अपनाना तथा सदस्यों को इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक मार्गदर्शन करना एवं सहायता देना ।
- (2) सदस्यों के दुग्ध को अधिक-से-अधिक लाभ पर बिक्री हेतु सहकारिता संघ के माध्यम से सुविधाएँ प्रदान करना ।
- (3) गव्य प्रसार तथा सदस्यों के पशुओं की हालत एवं नस्लों के सुधार का प्रबन्ध करना तथा उनके दुग्ध का वैज्ञानिक ढंग से उत्पादन बढ़ाने का प्रबन्ध करना ।
- (4) मवेशियों के लिए थोक या खुदरा दर पर भूसा, खल्ली, नमक एवं संतुलित पशु आहार का प्रबंध करना तथा सदस्यों के बीच वितरण करना ।
- (5) अपने सदस्यों के क्रिफायतशारी तथा बचत की आदत डालना, अपनी मदद आप करना तथा सहयोग की भावना को प्रोत्साहन देना ।
- (6) उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति तथा गव्य सम्बन्धी कारोबार का विकास के लिए अन्य आवश्यक कार्य करना ।

3. **कार्यक्षेत्र :-** समिति का कार्यक्षेत्र में सीमित रहेगा ।
4. **पूँजी :-** समिति का पूँजी निम्नलिखित प्रकार से बनेगी :
 - (क) हिस्सा ।
 - (ख) सदस्यों तथा गैर-सदस्यों से जो समिति के कार्यक्षेत्र के निवासी हों, अमानत प्राप्त कर ।
 - (ग) कर्ज (निबंधक की अनुमति से सरकार, किसी केन्द्रीय तथा राज्य सहयोग बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों से) कर्ज लिया जा सकता है ।
 - (घ) चंदा और दान ।
 - (ङ) प्रवेश शुल्क ।
 - (च) अन्य आर्थिक सहायता ।
5. **हिस्सा :-** समिति की हिस्सा पूँजी हिस्सों से बनेगा । एक हिस्से की कीमत 10 रु० (दस रुपये) होगी । हिस्सों की कीमत पर कोई रकम बढ़ाई नहीं जायेगी और न किसी पागल, नाबालिग या दिवालिया के हाथ बेची जायेगी । किसी सदस्य को जारी किये गये हिस्सों का पाँचवाँ अंश अथवा एक हजार रुपये के हिस्से, दोनों में जो कम हो, अधिक कीमत के हिस्से खरीदने का अधिकार न होगा । हिस्से का संख्या साधारण आम सभा के प्रस्ताव में बढ़ाई जा सकती है परन्तु कार्य में लाने के पहले रजिस्ट्रार से इसकी रजिस्ट्री करा लेनी होगी ।
6. **फिक्सड :-** फिक्सड (नियत) एवं करेन्ट (चालू) खाता में जमा प्रबंधकारिणी कमिटी द्वारा निर्धारित सूद की दर पर लिया जायेगा परन्तु नियत एवं बचत खाते पर सूद की दरें अन्य बैंकों की दरें से एक प्रतिशत कम रहेगी ।
7. **देन की सीमा :-** साधारण आमसभा के द्वारा निर्धारित सीमा और सूद की दर पर प्रबंधकारिणी कमिटी कर्ज या अमानत ले सकती है बशर्ते की कुल बाहरी देन चुकाई गई हिस्सा पूँजी रिजर्व फण्ड एवं भवन निर्माण फण्ड के 10 गुणा से अधिक न बढ़े ।
8. **पूँजी का उपयोग :-** समिति को पूँजी की आवश्यकता नहीं रहने पर निम्नलिखित ढंग से अमानत का कारोबार में लगायी जा सकती है ।
 - (क) सरकारी बचत बैंक में, अथवा

- (ख) अपने वित्तदाता बैंक में, अथवा
- (ग) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (अधिनियम 2, 1882) की धारा 20 में विनिर्दिष्ट किसी प्रतिभूमि में, अथवा
- (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिभूमि में, अथवा
- (ङ) रजिस्ट्रार के सामान्य अथवा विशेष मंजूरी से और उन शर्तों पर जो वह अधिरोपित करें।
- (i) किसी अन्य निर्बंधित सोसायटी की प्रतिभूमि पर अथवा शेयरों में, अथवा
- (ii) किसी अनुसूची बैंक में अथवा रजिस्ट्रार के मंजूरी से बैंक का कारोबार करने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत सोसायटी के पास।
- (च) नियमावली द्वारा अनुमत किसी अन्य रीति से, निवेशित अथवा जमा कर सकेगी।

नोट : दुग्ध संग्रहण केन्द्र अथवा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र के लिए निर्मित भवन या भवन निर्माण कराना समिति का विशेषाधिकार होगा।

9. (1) सदस्यता : निम्नलिखित व्यक्ति समिति के सदस्य हो सकते हैं -

- (क) समिति के कार्य क्षेत्र में रहने वाले 18 साल से अधिक उम्र के ऐसे व्यक्ति जो कानूनी एकरारनामा कर सकते हों।
- (ख) जिसकी सदस्यता के निमित्त विहित प्रपत्र में दरखास्त की मंजूरी प्रबंधकारिणी कमिटी ने की हो।
- (ग) जो दुग्ध उत्पादन हेतु गाय, भैंस, पालते हो एवं नाम मात्रिक (नौमिनल) सदस्य के रूप में आवेदन पत्र देने के पूर्व लगातार तीन महीने तक समिति को दुग्ध दिये हों।
- (घ) जिन्होंने समिति के कम-से-कम एक हिस्सा खरीदा हो तथा एक रुपया भर्ती शुल्क चुकता की हो।
- (ङ) जो दुग्ध या दुग्ध उत्पादित सामग्रियों का कारोबार नहीं करते हों।
- (च) लिखित रूप में समिति को दूध आपूर्ति करने की सहमति प्रदान की हो।
- (छ) जो दिवालिया न हो तथा कानूनन अयोग्य व्यक्ति न हो।
- (ज) नैतिक आचरण सम्बन्धित अभियोग के सजा भोगी न हो।

9. (2) उपयुक्त 9 (1) में वर्णित योग्यता रखने वाले व्यक्ति मात्र एक रुपया देकर नाममात्रिक (नौमिनल) सदस्य बनाये जायेंगे।

प्रारंभिक सदस्य वे होंगे जो उपर्युक्त संख्या 9 (1) के अनुसार सदस्यता के योग्य हों तथा जिन्होंने रजिस्ट्री की दरखास्त पर हस्ताक्षर किया हो। इसके बाद

के सदस्य उपविधि संख्या 9 (3) के अनुसार बनाये जायेंगे ।

9. (3) प्रवेश चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति प्रबन्धकारिणी कमिटी के पास विहित फार्म पर दरखास्त देंगे जो उचित जाँच पड़ताल के बाद उनकी दरखास्त मंजूर अथवा नामंजूर कारण बताते हुए करेगी । प्रबन्धकारिणी कमिटी निर्णय होने के एक पखवारे के अंदर आवेदक को निर्णय की सूचना दे देगी । नामंजूरी की अवस्था में ऐसे व्यक्ति को निर्णय की प्राप्ति से 60 दिनों के अंदर निबन्धक सहयोग समितियाँ के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा ।
9. (4) कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य होने के योग्य नहीं होगा । यदि
- (क) वह 18 वर्ष से कम उम्र का है ।
- (ख) वह समिति का अथवा सम्बन्ध करने वाली समिति का वेतनभोगी कर्मचारी है ।
- (ग) वह पागल है ।
- (घ) उसने दिवालिया या सोधनाक्षम (इनसोल्वेंट) न्याय निर्णित होने के लिए आवेदन किया है या अप्रमाणित दिवालिया है अथवा अनुमुक्त सोधनाक्षम (इनसोल्वेंट) है ।
- (ङ) उस राजनीतिक अपराध को छोड़कर किसी दूसरी अपराध के लिए सजा हुई हो या ऐसे अपराध के लिए सजा हुई हो जो नैतिक आचरण को अन्तर्ग्रस्त करती हो और वह सजा रद्द नहीं की गई हो या ऐसा अपराध क्षमा नहीं किया गया हो । वह अयोग्यता सजा की समाप्ति के पाँच वर्ष के बाद से नहीं होगी ।
10. कोई भी सदस्य एक साल सदस्य रहने बाद तीन महीने की सूचना देकर प्रबन्धकारिणी कमिटी की मंजूरी से हट सकता है बशर्ते कि उसके यहाँ कोई पावना न हो और न वह किसी अन्य सदस्य का जमानतदार हो । समिति से हटने पर भी दो साल तक समिति के शर्तों तथा जिम्मेदारियों का बन्धन उस पर रहेगा । यदि उस व्यक्ति के यहाँ पावना न हो और वह किसी सदस्य का जमानतदार हो तो त्याग पत्र देने की तिथि से एक माह के बाद उनका त्याग पत्र मंजूर समझा जायेगा यद्यपि इसकी मंजूरी प्रबन्धकारिणी कमिटी ने नहीं भी दी हो ।
11. आम सभा में उपस्थित 3/4 सदस्यों को बहुमत से जिन्हें मत देने का अधिकार हो, आम सभा की मंजूरी से प्रबन्धकारिणी कमिटी किसी सदस्य

को जुर्माना कर सकती है, मुअत्तल कर सकती है या हटा सकती है । ऐसे सदस्य निम्नलिखित कारणों से हटाये जा सकते हैं :

- (क) अगर वह किस्त खिलाफ हो,
- (ख) गलत बयान देकर उसने जानबूझकर समिति को धोखा दिया हो,
- (ग) अगर उसने ऐसा काम किया हो जिससे समिति के नाम पर धब्बा लगे, या समिति कि माली साख कमजोर हो,
- (घ) यदि वह लगातार समिति के सुझाव अथवा प्रस्ताव का अनादर करता हो,
- (ङ) उसके पास दुधारू गाय/भैंस रहने पर वह समिति के अन्यत्र दूध बेचता है अथवा वह दूध उत्पादित सामग्रियों की बिक्री करता है,
- (च) यदि वह समिति के कार्यक्षेत्र में नियमित रूप से नहीं रहता हो अथवा सदस्यता की कोई भी अयोग्यता उसमें आ जाती है ।

परन्तु किसी सदस्य को निष्कासित करने से पूर्व उसे आम सभा के समक्ष अपना बचाव पेश करने का अवसर दिया जायेगा तथा आमसभा के ऐसे प्रस्ताव की स्वीकृति निबन्धक से भी ली जायेगी ।

12. किसी भी व्यक्ति की सदस्यता निम्नलिखित किसी भी कारण से खत्म हो सकती है । सम्बन्धित सदस्य या उनके नामजद व्यक्ति को निर्णय के 15 दिनों के अंदर सूचना दे दी जायेगी :-

- (1) (क) मृत्यु हो जाने पर ।
 - (ख) उसके त्याग पत्र की स्वीकृति प्रबंधकारिणी कमिटी से हो जाने पर
 - (ग) सदस्यता से निकाल दिये जाने पर (उपविधि संख्या 11 के अनुसार)
 - (घ) स्थायी रूप से कार्यक्षेत्र से निवास स्थान हटा लेने पर ।
 - (ङ) उनका हिस्सा अन्य सदस्य के नाम पर स्थानांतरित होने पर ।
- (2) यदि किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है तो छः माह के अंदर समिति उसके सभी पावने चुकती कर देगी ।
- 13. (क) समिति की देन के लिए किसी सदस्य को जिम्मेदारी अपने हिस्से की कीमत के पाँच गुणा तक होगी ।
 - (ख) कोई भी सदस्य जिसके जिम्मे समिति का बकाया हो उपविधि संख्या 9 (1) के अनुसार सदस्यता की योग्यता खो देता हो तथा उसने गत सहकारिता वर्ष में 180 दिनों में कम अथवा 500 लीटर से कम दूध समिति को आपूर्ति की हो, बोनस प्राप्ति डेभीडेन्ट तथा अन्य आर्थिक लाभ

जैसे लूसर्न, बीज या पशु आहार आदि पाने के अधिकार के सिवा सदस्यता के अन्य अधिकारों के पाने का हकदार नहीं होगा ।

14. हिस्सा खरीदने का आवेदन पत्र लिख कर दिया जायेगा और प्रबंधकारिणी कमिटी उसका फैसला करेगी ।
15. प्रत्येक हिस्सेदार को पृथक-पृथक क्रमांक का समिति का मुहर लगा हुआ हिस्से का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा । यदि वह प्रमाण-पत्र खो गया तो एक रुपया देने पर नया प्रमाण-पत्र मिलेगा । यदि कोई हिस्सेदार अपने हिस्से को कीमत या किस्त की अदायगी प्रबन्धकारिणी कमिटी के निर्णयानुसार 30 दिनों के अन्दर नहीं करता है तो प्रबंधकारिणी कमिटी के निर्णय होने पर उनका हिस्सा जब्त कर लिया जायेगा । ऐसे जब्त हिस्से की रकम रिजर्व फण्ड में मिला दी जायेगी । हिस्से की रकम जब्त करने सम्बंधी निर्णय की सूचना सदस्य को 15 दिन पूर्व दी जायेगी ।
16. प्रबन्धकारिणी कमिटी के अनुमति से कोई सदस्य अपना हिस्सा (कम-से-कम एक साल तक रखने के बाद) दूसरे सदस्य के हाथ हस्तान्तरित कर सकता है । परन्तु इसके निमित्त उन्हें खरीदनेवाले की सहमति के साथ 15 दिन पूर्व आवेदन-पत्र देना होगा । ऐसी हस्तान्तरण उस समय तक पूर्व नहीं होगा, जब तक हिस्सा बही में वैसे सदस्य का नाम दर्ज न हो जाय, तथा 0.25 पैसे का हस्तान्तरण शुल्क उन्होंने चुकती न की हो ।
17. उपविधि संख्या 11 के अनुसार निष्कासित सदस्यों के हिस्से आम सभा के प्रस्ताव के द्वारा जब्त किये जा सकते हैं ।
18. दो वर्षों तक हिस्सा रखने के बाद कोई भी हिस्सेदार अपनी चुकती हिस्सा की पूरी रकम पाने का हकदार होगा । परन्तु ऐसा दावा करने के निमित्त उसे तीन माह की सूचना समिति को देनी होगी । ऐसे वापस किये जाने वाले हिस्से का मूल्य समिति की कुल हिस्सा का 1/10 अंश से अधिक नहीं होगा ।
19. जब कोई व्यक्ति समिति की सदस्यता से हट जाय या मर जाय तो वह समिति के उन पावनों के लिए जो उनकी सदस्यता खत्म होने की तारीख या मृत्यु के दिन रहे, उनकी सदस्यता से हटाने या मरने की तारीख से दो वर्षों तक उस हद तक जिम्मेदार होगा, जो उपविधि संख्या 13 (क) में अंकित है ।

20. समिति के हिस्से में सदस्य का दावा या अन्य पावना समिति की कुल हिस्सा पूँजी का 1/5 अंश अथवा 1000 रु० दोनों में से जो भी कम हो, से अधिक पाने का कोई भी सदस्य हकदार नहीं होगा ।
21. **नामजदगी :-** समिति का कोई भी सदस्य किसी व्यक्ति को, जो समिति का नौकर या अफसर न हो, लिखकर अपना वारिस नामजद कर सकता है । ऐसे नामजद वारिस के आवेदन-पत्र पर आवेदनकर्ता दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर करेंगे । ऐसे नामजद वारिस की सदस्य की मृत्यु होने पर समिति में उनका हिस्सा या अन्य पावने दिये जा सकते हैं । प्रथम नामजदगी के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जायेगा परन्तु उसके बाद किसी भी हस्तान्तरण या परिवर्तन के लिए 0.25 पैसे शुल्क चुकता करना होगा ।
22. किसी सदस्य के मृत्यु के बाद समिति में जमा उनका हिस्सा या मुनाफे की रकम तथा अमानत इत्यादि उसके जिम्मे समिति के पावने की कटौती करके उसके नामजद उत्तराधिकारी को दी जायेगी । यदि किसी सदस्य ने उत्तराधिकारी नामजद नहीं किया हो तो ऐसे व्यक्ति को जिनको समिति उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि समझेगी करार पत्र लिखवाकर वह रकम देगी, परन्तु नियत (फिक्सड) जमा की रकम उसकी अवधि की समाप्ति के उपरांत ही चुकती की जायेगी ।
23. मरे हुए सदस्य का हिस्सा उसके उत्तराधिकारी या नामजद व्यक्ति के नाम बदल दिया जा सकता है यदि वह सदस्य के लायक हों तथा विधिवत चुना गया हो ।
24. यदि उपविधि 12 (1) में वर्णित कारणों से (किस्त खिलाफी कारण को छोड़कर) सदस्यता खत्म हो जाती है तो उसके हिस्से का मूल्य सदस्यता को समाप्ति के दिन तक के बकायों की कटौती के बाद बिहार-कोऑपरेटिव सोसायटीज ऐक्ट 1935 (ऐक्ट 6, 1935 ई०) और उसके अंदर बने नियम एवं उपविधियाँ के अनुसार ही काम में लाया जायेगा ।
25. **आम सभा :-** सहकारिता अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के अंतर्गत रहते हुए समिति में सर्वोच्च अधिकार आम सभा को होगा । प्रथम या प्रारम्भिक आम सभा को भी वहीं शक्तियाँ होंगी जो साधारण वार्षिक आम सभा की होंगी ।

आम सभा तीन प्रकार की होगी :-

(क) साधारण (ख) असाधारण (ग) विशेष

(क) साधारण आमसभा : साधारण (वार्षिक) आमसभा सहकारी वर्ष

समाप्त होने के नौ (9) महीने के भीतर होगी। सभा में स्टेच्युटरी ऑडिट रिपोर्ट पर अवश्य विचार किया जायेगा।

(ख) **असाधारण आमसभा :-** असाधारण आमसभा प्रबन्धकारिणी कमिटी के द्वारा किसी भी समय या समिति के कुल सदस्यों के 1/3 हिस्से की लिखित माँग पर एक महीना के भीतर बुलायी जा सकती है।

(ग) **विशेष आमसभा :-** विशेष आमसभा रजिस्ट्रार सहयोग समितियाँ या उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी की माँग पर या जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की लिखित माँग पर समिति के प्रधान कार्यालय में माँग में उल्लिखित समय और स्थान पर बुलायी जायेगी। निबन्धक अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा संघ की लिखित माँग की प्राप्ति के 21 दिनों के अंदर अध्यक्ष विशेष आमसभा बुलाने को बाध्य होंगे। यदि अध्यक्ष विशेष आमसभा नहीं बुलावें तो निबन्धक द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा संघ सदस्यों को 15 दिनों की सूचना देकर स्वयं आम सभा बुला सकते हैं। ऐसी विशेष आमसभा को वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो साधारण सालाना आमसभा को है।

26. **आमसभा के लिए सूचना :-** किसी भी साधारण या विशेष आमसभा के लिए 15 दिनों की सूचना दी जायेगी। लिखित सूचना समिति के कार्यालय के बाहर तथा कार्यक्षेत्र के प्रमुख स्थानों में प्रकाशित की जायेगी। सूचना पत्र में सभी की तिथि एवं स्थान साफ-साफ लिखा रहेगा तथा सभा में विचार किये जाने वाले विषयों का भी वर्णन रहेगा।

27. समिति के प्रत्येक सदस्य को केवल एक वोट देने का अधिकार होगा प्रति-पत्री (प्रौक्सी) द्वारा वोट स्वीकृत नहीं होगा। दोनों पक्षों से बराबर वोट होने पर सभापति को निर्णायक वोट देने का अधिकार होगा। सभी प्रश्नों के लिए बहुमत मान्य होगा।

28. **कोरम :-** सभी आम सभाओं में समिति के कुल सदस्यों का 1/3 संख्या या 20 सदस्य, जो भी कम हो, कोरम होगी। यदि सभी विशेष आम सभा रहे और निश्चित समय के भीतर कोरम पूरा न हो तो सभापति उसे विघटित कर देंगे। यदि वह साधारण आमसभा हो तो वे कम-से-कम सात दिनों और अधिक-से-अधिक 21 दिनों तक के लिए स्थगित कर देंगे। इस प्रकार स्थगित सभा के सभी कार्यक्रम वे ही रहेंगे जो पहले निश्चित थे। कार्यक्रम में कुछ हेर-फेर नहीं किया

जायेगा। अगर इस प्रकार की स्थिति सभा में कोरम पूरी नहीं हो तो कोई प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों की 3/4 संख्या से पास होगा।

29. साधारण आम सभा के कार्य :- वार्षिक आमसभा समिति के कार्यों का निरीक्षण करेगी और विशेष रूप से प्रबंधकारिणी कमिटी के कार्यों को देखेगी समिति के भलाई के लिए आवश्यक समझे जाने वाले सभी कार्य को करने में समर्थ होगी। साधारण (सालाना) आम सभा निम्नलिखित कार्य होंगे :-

- (1) सभा के लिए एक सभापति चुनना।
- (2) गत आम सभा की कार्यवाही की संपुष्टि करना।
- (3) कमिटी द्वारा उपस्थापित वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना, गत वर्ष का व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा बैलेन्सशीट को पास करना तथा मुनाफे के वितरण पर विचार करना।
- (4) बिहार सहकारी नियम के अनुसार प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्यों को गुप्त मतदान द्वारा चुनना तथा उनके नामों को घोषित करना।
- (5) आन्तरिक औडिटों की नियुक्ति करना।
- (6) आगामी वर्ष के लिए वार्षिक आय-व्यय के बजट पर विचार करना।
- (7) औडिट प्रतिवेदन पर विचार एवं आवश्यक कार्रवाई करना तथा निबंधक, जिला सहकारिता संघ एवं सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक से प्राप्त पत्रों पर विचार एवं कार्रवाई करना।
- (8) आगामी वर्ष में समिति की ओर से प्रबंधकारिणी कमिटी के द्वारा लिये जाने वाले जमा एवं कर्ज की सीमा तथा ब्याज दर नियत करना।
- (9) संघ के निर्देशानुसार दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादित सामग्रियों का संग्रह, बिक्री एवं उसके परिवहन का उचित प्रबंध करना।
- (10) समिति की उपविधियों में आवश्यक संशोधन, जोड़, अदल-बदल इत्यादि करने पर विचार करना एवं उचित प्रबंध करना।
- (11) समिति के आर्थिक व्यवस्था से सम्बन्ध रखने वाले सभी विषयों पर विचार करना तथा उसके और समिति के कार्यों के संबंध में प्रस्ताव पास करना।
- (12) प्रबंधकारिणी कमिटी के फैसले के विरुद्ध अपील सुनना और उस पर निर्णय लेना।

- (13) समिति के अफसरों के कार्य को देखना तथा उनके विरुद्ध की गयी शिकायतों को सुनना एवं विचार का फैसला करना ।
- (14) समिति के अन्य आम कार्यों का सम्पादन करना ।
- 30. आम सभा की सभी कार्यवाही बही में अंकित की जायेगी ।**
31. हर सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा परन्तु सभापति को एक अतिरिक्त निर्णायक मत देने का अधिकार होगा । दूसरे के बदले मतदान करने का अधिकार नहीं होगा ।
32. आम सभा में उपस्थित 2/3 सदस्यों की अनुमति से उपविधियों में सुधार एवं सदस्यों की निष्कासन संबंधी विषयों को छोड़कर अन्य विषय पर, जिनका जिक्र कार्यावली में नहीं है कोई भी सदस्य विचारार्थ पेश कर सकता है ।
33. सभी आमसभाओं में सभापतित्व करने के लिए उपस्थित सदस्यों के द्वारा सभापति चुने जायेंगे ।
34. आमसभा द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव पारित होने के तिथि से छः माह के भीतर अदल-बदल या रद्द नहीं किया जा सकता । परन्तु यदि प्रबन्धकारिणी कमिटी के 2/3 सदस्यों की राय में किसी विशेष प्रस्ताव में रद्दो-बदल समिति के हित में आवश्यक हो और ऐसे परिवर्तन के लिए जिला महकारिता पदाधिकारी/सहायक निबन्धक सहमत हो तो प्रबन्धकारिणी कमिटी इसके निमित्त विशेष आमसभा छः माह के अंदर बुला सकती है ।
- 35. प्रबंधकारिणी कमिटी :-**
- (क) निर्वाचित प्रबन्धकारिणी कमिटी में 13 सदस्य रहेंगे । जिसमें दो स्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति, दो स्थानों महिलाओं के लिए तथा एक-एक स्थान क्रमशः पिछड़े एवं अति पिछड़े जाति के लिए आरक्षित रहेंगे इस प्रकार आरक्षित स्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के सदस्य, महिलाओं एवं अति पिछड़े जाति के सदस्यों के बीच से निर्वाचन या / और सहयोजन द्वारा भरे जायेंगे ।
- प्रबन्धकारिणी कमिटी का कार्यकाल निर्वाचन की तिथि से पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
- (ख) प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्यों की संख्या आधा से अधिक सदस्यों का क्रम होगा । अध्यक्ष सभा का सभापतित्व करेंगे । बराबरी की अवस्था में अध्यक्ष को एक निर्णायक वोट देने का अधिकार होगा ।

36. प्रबन्धकारिणी कमिटी के सदस्य के चुनाव के निमित्त या अपने पद पर बने रहने के लिए सदस्यों में निम्नलिखित योग्यताएँ आवश्यक हैं :-
- (क) उनके जिम्मे समिति का कोई भी रकम किस्त खिलाफ न हो ।
 - (ख) वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समिति के साथ ठीका का काम न करता हो या समिति द्वारा बेचे या खरीदे जाने वाले किसी जायदाद या किसी लेन-देन में (समिति में धन लगाने को छोड़कर) उनका सम्बन्ध न हो ।
 - (ग) किसी भी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत वह अयोग्य न हो तथा इस समिति या अन्य संस्थान में धन के दुरुपयोग तथा कुप्रबंध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो ।
 - (घ) वह किसी भी समिति का बिहार को-आपरेटिव सांसाइटिज एक्ट 1935 की धारा 40, 45 एवं 46 के अंतर्गत जिम्मेवार नहीं ठहराया गया हो अथवा उसके विरुद्ध अधिभार (सरचार्ज) की कार्यवाही लंबित न हो या समिति के किसी लेन-देन सम्बंधी जाँच लंबित न हो ।
 - (ङ) वह इस समिति या अन्य किसी भी समिति का वेतनभोगी कर्मचारी नहीं हो तथा समिति के किसी वेतनभोगी कर्मचारी का रिश्तेदार न हो ।
 - (च) वह या उसके संयुक्त परिवार का कोई भी व्यक्ति समिति के द्वारा किये जाने वाले कारोबार के सामान कारोबार नहीं करता हो (ठीका या उप ठीका) अथवा ऐसे संस्था में साझेदारी न हो ।
 - (छ) उसके पास दुधारू गाय, भैंस है तथा उसने समिति के माध्यम से गत सहकारिता वर्ष में दूध बेचा हो ।
 - (ज) गत लगातार तीन वर्षों में उसके विरुद्ध समिति का बकाया वसूल करने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई हो ।
 - (झ) उसने गत तीन वर्षों में समिति में वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं किया हो ।
37. प्रबन्धकारिणी कमिटी का कोई सदस्य निम्नलिखित कारणों से स्वतः सदस्यता खो देता है :-
- (क) त्याग पत्र देकर एवं प्रबन्धकारिणी कमिटी द्वारा उसकी स्वीकृति होने पर ।
 - (ख) जब वह समिति का सदस्य मृत्यु या अन्य किसी भी कारण से नहीं रह जाता है ।

- (ग) प्रबन्धकारिणी कमिटी की सदस्यता के लिए विहित योग्यताओं में से कोई भी योग्यता उसमें नहीं रह जाती है ।
- (घ) अगर वह प्रबन्धकारिणी कमिटी की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहा हो ।

ऐसी अनुपस्थिति की नोटिस प्रबन्धकारिणी कमिटी अपनी बैठक में लेगी और तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पारित होने की तिथि से ही प्रस्ताव प्रभावकारी होगा । प्रस्ताव का पूर्ण विवरण अनुपस्थित सदस्य को प्रबन्धकारिणी कमिटी देगी । यदि तत्सम्बन्धी सूचना समिति के सूचना पट पर भी प्रकाशित कर दी जाय तो प्रकाशन जायज समझा जायेगा ।

38. (क) समिति अपने प्रबंध कारिणी एवं अध्यक्ष का निर्वाचन बिहार सहकारी सोसाईटी नियमावली 1959 के नियमानुसार सम्पन्न करायेगी ।
 (ख) उपस्थित रहने पर अध्यक्ष कमिटी की बैठकों में अध्यक्षता करेंगे अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों में से किसी एक को कमिटी उस दिन के लिए अध्यक्ष चुन लेगी ।
 (ग) कमिटी में बहुमत से निर्णय लिया जायेगा । बराबरी की अवस्था में अध्यक्ष को अपने साधारण मत के अतिरिक्त निर्णायक वोट देने का अधिकार होगा ।
39. आवश्यकतानुसार कमिटी की बैठकें हुआ करेंगी, किन्तु माह में एक बैठक अवश्य होगी । (यदि सम्भव हो तो अगली बैठक की तिथि एवं समय पूर्व बैठक में ही तय कर लिये जायेंगे) ।
40. जिस विषय में सदस्यों का खास सम्बन्ध रहेगा उसके विचार के समय वे उपस्थित नहीं रहेंगे और न मतदान ही दे सकते हैं, परन्तु यदि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जायेगी तो उसके स्पष्टीकरण के लिए उन्हें सूचना दे दी जायेगी ।
41. प्रबन्धकारिणी कमिटी में मृत्यु से, या लगातार तीन मीटिंग में अनुपस्थिति से या अन्य कारणों से किसी सदस्य का स्थान रिक्त होगा तो उसकी पूर्ति प्रबन्धकारिणी कमिटी अगली आमसभा तक के लिए कर लेगी ।
42. प्रबन्धकारिणी कमिटी या उसके किसी सदस्य के रूप में उसके द्वारा किये गये सभी कार्य जायज समझे जायेंगे, इस बात के होते हुए भी कि बाद में ऐसा पता चले कि प्रबन्धकारिणी कमिटी या अमुक व्यक्ति के निष्पक्ष में कुछ त्रुटि थी, मानो कमिटी का गठन विधिवत हुआ हो ।

43. प्रबन्धकारिणी कमिटी का सभी निर्णय एक अलग कार्यवाही बहीं में अंकित किये जायेंगे जिसमें बैठक की कार्यवाही अंकित होने के साथ-साथ उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर भी होगा । जिस प्रस्ताव का रुपये-पैसे से सम्बन्ध हो उसके पक्ष और विपक्ष में वोट देने वाले हाजिर सदस्यों का हस्ताक्षर अलग-अलग किया जायेगा ।
44. यदि निबन्धक, सहयोग समितियाँ समिति में गंभीर कुप्रबन्ध पाये तो वे प्रबन्धकारिणी कमिटी को अवक्रमित कर सकते हैं । उसकी जगह पर वे एक प्रशासक नियुक्त करेंगे और इस बीच समिति के पदाधिकारीगण अपने पद पर बने नहीं रहेंगे ।
45. उपविधियों में अन्य वर्णित प्रबन्धकारिणी कमिटी के कर्तव्य अधिकार एवं जिम्मेदारियों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी कमिटी के निम्नलिखित कार्य होंगे :-
 - (1) गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि ।
 - (2) सदस्यता के लिए प्राप्त आवेदन-पत्र, सदस्यता के लिए त्याग-पत्र, हिस्से का हस्तांतरण, हिस्से की वापसी आदि पर विचार कर निर्णय लेना तथा हिस्से को बाकी किस्तों की वसूली हेतु कार्रवाई करना ।
 - (3) समिति के कार्य सम्पादन हेतु आवश्यक निधि का प्रबन्ध करना, अमानत प्राप्त करने की शर्तों तथा समिति की आवश्यकता से अधिक पूँजी लगाने की शर्तों का निर्धारण नियमानुकूल करना ।
 - (4) विशिष्ट कार्यों के लिए उपसमितियों को नियुक्त करना तथा उन्हें आवश्यक कर्तव्य एवं शक्तियाँ प्रदान करना ।
 - (5) सहकारिता अधिकोष में समिति के नाम पर खाता खोलना तथा उसके संचालन हेतु आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करना ।
 - (6) सहकारी संस्थाओं में आवश्यकतानुसार समिति का प्रतिनिधित्व करने के निमित्त प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्त करना ।
 - (7) समिति के लेखा का परीक्षण, नगद तहबील का भौतिक सत्यापन करना तथा अध्यक्ष का प्रबन्धकारिणी कमिटी के अन्य सदस्य को जमा खर्च बही का नियमित रूप से हस्ताक्षरित करने के लिए अधिकृत करना ।
 - (8) सदस्य पुस्तिका, लेखा पंजियों तथा अन्य पंजियों का सत्यापन करना । इसका पूर्ण रूप नियमित ढंग से पोषित कराने की कार्रवाई करना ।
 - (9) आमसभा की तिथि, समय, स्थान एवं कार्यवाली को तय करना तथा

विशेष आमसभा का नियमानुकूल आयोजन करना तथा यह देखना की सालाना आमसभा निर्धारित समय के अंदर सम्पन्न हो जाय ।

- (10) समय पर वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा तैयार करना, अध्यक्ष या कमिटी के किसी अन्य सदस्य को उसे प्रकाशित करने हेतु प्राधिकृत करना तथा आमसभा को लाभ का वितरण हेतु सिफारिश करना ।
- (11) स्वयं मुकदमा दायर करना, पैरवी करना, मुलह करना तथा अन्य शिकायतों को सुनना एवं निबटारा करना ।
- (12) समिति के कार्यालय या गोदाम के लिए भवन किराये पर लेना, माल का भंडार एवं बिक्री की व्यवस्था करना, उपयुक्त मकान/गोदामों का आमसभा तथा सहकारिता विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर स्वयं निर्माण करना ।
- (13) समिति के कार्यों का समुचित एवं प्रभावकारी ढंग से संचालन हेतु सहकारी अधिनियम, नियम, उप विधियाँ एवं आमसभा के प्रस्तावों के अनुकूल प्रशासनिक नियम बनाना । प्रबन्धकारिणी कमिटी की कार्यवाही बही में ऐसे नियम उल्लिखित किये जायें तथा सभी की स्वीकृति के पश्चात ही प्रभावकारी होगा ।
- (14) सहकारिता विभाग द्वारा मांगी गयी सभी विवरणियाँ एवं अन्य आवश्यक सूचनाएँ समय पर उपस्थापित करना ।
- (15) समिति के अंकेक्षण प्रतिवेदन पर कार्यवाई करना तथा उसमें दिये गये निर्देशों का कार्यान्वयन करना अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शायी गई त्रुटियों का सुधार करना तथा उसकी प्राप्ति के एक माह के अंदर सुधार प्रतिवेदन का प्रेषण करना ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन सुधार प्रतिवेदन सहित आगामी आमसभा में स्वीकृति हेतु रखना, अंकेक्षकों, अंकेक्षण विभाग, बैंक तथा संघ के प्राधिकृत पदाधिकारियों को यथा समय आवश्यक सुविधाएँ, सूचना एवं विवरणियाँ प्रस्तुत करना ।

- (16) समिति के उपविधियों एवं नियमों में आवश्यक संशोधन, अदल-बदल तथा रद्द करने के निमित्त आमसभा को सिफारिश करना ।
- (17) समिति के सचिव से मासिक लेखा जोखा जैसे आय व्यय, खरीद-बिक्री, माल का स्टॉक आदि की माँग करना तथा आमसभा द्वारा अनुमोदित बजट उपबन्धों के अंदर खर्चों को स्वीकृति देना ।

- (18) समिति के अभिलेख, साज-सज्जा, माल, स्टॉक आदि के लिए किसी खास-खास कर्मचारियों पर जिम्मेदारी निर्धारित करना ।
- (19) नगद राशि तथा अन्य सामग्रियों की क्षति से सुरक्षा हेतु युक्तिसंगत दरों पर पैकेज बीमा की व्यवस्था करना ।
- (20) दूध, घी, पशु आहार आदि की खरीद बिक्री का प्रबन्ध जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के निर्देशानुसार करना तथा संघ के सभी अन्य निर्देशों का अनुपालन करना ।
- (21) समिति के वकाये रकम की जाँच करना तथा उसके वसूलने की कार्रवाई करना ।
- (22) संघ के निर्देशानुसार दुग्ध उत्पादन में वृद्धि तथा पशुपालन सम्बन्धी आवश्यक कार्यक्रम जैसे वैज्ञानिक कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा पशुओं का नस्ल सुधार तथा उन्नति करना, कमीशन पर एक साथ सदस्यों के पशुओं के लिए उचित मूल्यों पर चारा दाना का प्रबन्ध करना ।
- (23) समिति द्वारा अपने सदस्यों के लिए उचित मूल्य पर अच्छे-अच्छे दुधारू मवेशियों के क्रय में सहायता करना ।
- (24) सदस्यों के शिकायतों को सुनने एवं उस पर उचित कार्रवाई करना अध्यक्ष द्वारा जिन मामलों का निबटारा नहीं हो सका हो उसका निबटारा करना ।
- (25) (क) निबंधक और उनके मातहत के अधिकारियों तथा आमसभा के आदेशानुसार समिति के सचिव तथा अन्य वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करना, कार्यमुक्त करना अथवा बरखास्त करना ।
- (ख) समिति के वेतनभोगी कर्मचारियों का वेतनमान, सेवा शर्तों तथा योग्यता आदि का निर्धारण करना तथा सभी कर्मचारियों का कर्तव्य, अधिकार एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण करना ।
- (ग) सभी वेतनभोगी कर्मचारियों में जमानत ब्रॉण्ड प्राप्त करना, इन्हें सुरक्षित रखने की निमित्त जिला सहकारिन्ना अधिकोष में जमा करना । यह सुनिश्चित करना कि प्रतिवर्ष कर्मचारियों के जमानत ब्रॉण्ड नवीकरण हो रहे हैं तथा इससे प्रबन्धकारिणी कमिटी को अवगत कराना ।

- (घ) कर्मचारियों के भविष्य निधि नियम बनाना तथा आमसभा तथा सहकारिता विभाग की स्वीकृति के पश्चात उनका कार्यान्वयन करना ।
- (26) प्रबन्धकारिणी कमिटी किसी व्यक्ति की नियुक्त अथवा अपने पद पर बने रहने हेतु उपविधियाँ में वर्णित अन्य शर्तों के अतिरिक्त निम्नांकित योग्यताएँ निर्धारित कर सकती है :-
- (क) वह व्यक्ति समिति द्वारा किये जाने वाले कारोबार, जैसे दूध, दूध उत्पादित सामग्रियों एवं पशु आहार का कारोबार, दूध तथा पशु आहार का परिवहन आदि का काम स्वयं अथवा किसी की साझेदारी में व्यवसाय या ठीके पर कारोबार नहीं करता है ।
- (ख) किसी अन्य स्थानीय संस्थान या समिति में वह वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में पदस्थापित नहीं है ।
- (ग) अनैतिक आचरण के लिए उसे सजा नहीं हुई हो ।
- (घ) इस समिति या अन्य समिति में वह धन का दुरुपयोग तथा कुप्रबन्ध के लिए दोषी नहीं पाया गया हो ।
- (ङ) सहकारिता अधिनियम के अपने कर्तव्य से सम्बंधित धाराओं का वह उल्लंघन करते नहीं पाया गया हो ।

यदि समिति का कोई भी कर्मचारी अपने सेवा काल में उपयुक्त नियमों का पालन करते नहीं पाया जाय तो प्रबन्धकारिणी कमिटी उनकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर देगी ।

- (27) प्रबन्धकारिणी कमिटी बिहार एवं उड़ीसा को-ऑपरेटिव सोसायटीज ऐक्ट 1935 की धारा 19 के अन्तर्गत पूँजी लगा सकती है परन्तु यदि किसी भवन में पूँजी लगानी हो तो सहायक निबन्धक/जिला सहकारिता पदाधिकारी के बिना पूर्व स्वीकृति में ऐसा नहीं किया जा सकता है ।
- 46. अध्यक्ष :- उपविधियों के अन्यत्र उल्लिखित के अतिरिक्त अध्यक्ष के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे ।

- (क) आमसभा और प्रबन्धकारिणी कमिटी द्वारा पारित प्रस्तावों का सचिव के द्वारा कार्यान्वित कराना ।
- (ख) सचिव के दैनिक चालू कार्यों का पर्यवेक्षण करना ।
- (ग) उपविधियाँ में वर्णित सीमा से अधिक राशि बैंक में जमा करना । यह सुनिश्चित करना की नगद तहबील खरीदे जानेवाले दूध की औसत कीमत की राशि के छः गुणा से अधिक न रहे (तीन दिनों की औसत खरीद मूल्य) ।

- (घ) माल का स्टॉक, साज-सज्जा, मृत सम्पत्ति इत्यादि का माह में कम-से-कम एक बार स्वयं भौतिक सत्यापन करना अथवा कराना ।
- (ङ) यह देखना कि समिति का कार्य सम्पादन अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के अनुसार ही किया जा रहा है ।
- (च) ऑडिट नोट, निरीक्षण तथा परिदर्शन प्रतिवेदन में दर्शायी गई आपत्तियों का यथाशीघ्र निराकरण करने की कार्यवाही करना ।
- (छ) सहकारिता विभाग, बैंक तथा संघ द्वारा मांगी गयी सभी विवरणियाँ एवं सूचनाएँ यथा समय प्रेषित करने का प्रबन्ध करना ।
- (ज) शिकायतों को सुनना तथा यथा संभव उसका निष्पादन करना और अपने निर्णय के साथ प्रबन्धकारिणी कमिटी में ऐसी शिकायतों का विचारार्थ रखना ।
47. इन उपविधियों में अन्यत्र उल्लिखित कर्त्तव्य के अतिरिक्त सचिव के निम्नांकित कर्त्तव्य होंगे :-
- (क) अध्यक्ष के निर्देशानुसार आम सभा तथा प्रबन्धकारिणी कमिटी की बैठकों का आयोजन करना तथा इन बैठकों में उपस्थित रह कर उनकी कार्यवाही पुस्तिका में अंकित करना ।
- (ख) प्रबन्धकारिणी कमिटी के निर्देशानुसार धन की निकासी, वसूली तथा व्यय करना ।
- (ग) समिति को सम्बोधित सभी पत्राचारों को प्राप्त करना तथा प्रमुख विषयों की ओर प्रबन्धकारिणी कमिटी का ध्यान आकृष्ट कराना ।
- (घ) समिति के सभी रसीद, भाउचर, वार्षिक प्रतिवेदन, देन पावने का चिट्ठा एवं अन्य आवश्यक विवरणियाँ तैयार करना तथा सहकारिता विभाग, बैंक एवं संघ को यथा समय वांछित अभिलेख, सूचनाएँ आदि प्रस्तुत करना ।
- (ङ) समिति के दैनिक प्रकाशन सम्बन्धी सभी पत्र व्यवहार करना और सदस्यों को वांछित सूचना देना, अध्यक्ष का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर विशेष विषयों पर पत्र व्यवहार करना ।
- (च) प्रबन्धकारिणी कमिटी के समक्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन अविलम्ब उप-स्थापित करना । अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शायी गयी भिन्नताओं का सुधार करना तथा प्रबन्धकारिणी कमिटी का अनुमोदन प्राप्त कर सुधार प्रतिवेदन प्राप्ति के एक माह के अंदर अंकेक्षण को प्रेषित करना ।
- (छ) समिति की जमा खर्च बही तथा अन्य लेखा पंजियों को स्वयं लिखना अथवा पोषित करना ।

- (ज) खरीदे गये दूध की कीमत भुगतान के दिन में दो बार करना तथा स्थानीय दूध की बिक्री की रकम एवं समिति के अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों के द्वारा बेचे गये सामानों की कीमत संग्रह करना ।
- (झ) समिति के अन्य कर्मचारियों का मार्ग दर्शन करना तथा उनके कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना, प्रबन्धकारिणी कमिटी को उनके कार्यों के सम्बन्ध में सूचना देना तथा कमिटी की सहमति से कर्मचारियों का कर्तव्य एवं जिम्मेवारियाँ निर्धारित करना ।
- (ट) प्रबन्धकारिणी कमिटी की स्वीकृति हेतु मासिक आय-व्यय का ब्योरा, क्रय-विक्रय विवरण तथा लाभ-हानि खाता आदि का उपस्थापित करना ।
- (ठ) बैंक में आवश्यकता से अधिक राशि को जमा करना ।
- (ड) उपविधियों के अनुसार समिति के कारोबार में वृद्धि हेतु आवश्यक कदम उठाना ।
- (ढ) यह देखना की समिति का बकाया नियमित रूप से वसूल हो रहे हैं तथा वसूल नहीं होने की तिथि में प्रबन्धकारिणी कमिटी के सलाह मशविरा कर कानूनी कार्रवाई हेतु आवश्यक विवरण तैयार करना ।
- (ण) प्रबन्धकारिणी कमिटी तथा अध्यक्ष के निर्देशानुसार अन्य सभी कार्यों का सम्पादन करना ।

लाभ-हानि :-

48. (1) समिति का सालाना कारोबार 31 मार्च को बन्द कर दिया जायेगा । समिति में गत वर्ष का मिश्रित (ग्राँस) लाभ की घोषणा आमसभा में की जायेगी और उसमें निम्नांकित कटौतियाँ की जायेगी :-

- (क) कर्ज एवं अमानत पर देय सूद की रकम ।
 - (ख) समिति के कार्यशील खर्च ।
 - (ग) हानि ।
 - (घ) भवन तथा अन्य सम्पत्ति पर ह्रास की राशि ।
 - (ङ) प्रबन्धकारिणी कमिटी द्वारा स्वीकृत एवं सहायक निबन्धक/जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन अशोध ऋण (बैंड-डेट)
 - (च) कर्मचारी भविष्य निधि तथा उत्पादन निधि में देय अंशदान की राशि ।
- (2) उपयुक्त कटौतियों के बाद बची हुई राशि समिति का शुद्ध लाभ समझा जायेगा ।

शुद्ध लाभ का वितरण निम्नांकित तरीके से किया जायेगा :-

- (क) शुद्ध लाभ का 25% (प्रतिशत) संचित निधि (रिजर्व फण्ड) में जमा किया जायेगा ।
- (ख) अधिक से अधिक 10 प्रतिशत तक बैड डेट फण्ड में जाएगा ।
- (ग) सदस्यों को चुकता हिस्सा पूँजी का अधिक से अधिक 9% डिभिडेन्ट दिया जायेगा ।
- (घ) शुद्ध लाभ का न्यूनतम 10% (प्रतिशत) राशि सहकारी शिक्षा एवं विकास निधि में हस्तांतरित किया जायेगा ।
- (3) कटौतियों के बाद शेष राशि निम्नांकित रूप में वितरित की जायेगी ।
 - (क) सदस्यों के द्वारा दुग्ध की आपूर्ति की कीमत के अनुपात में 65% बोनस दिया जायेगा ।
 - (ख) 10% पशु विकास निधि में जायेगा ।
 - (ग) 10% दातव्य निधि (चैरिटी) में जायेगा ।
 - (घ) 10% कर्मचारी को बोनस दिया जायेगा । प्रबन्धकारिणी कमिटी के निर्णय के अनुसार ही कर्मचारियों को बोनस दिया जायेगा परन्तु बोनस की रकम प्रत्येक कर्मचारियों के मामले में उनके दो माह के वेतन से अधिक नहीं होगी इस मद में बची हुई राशि अगले वर्ष में इसी मद में जमा कर दी जायेगी ।
 - (ङ) 5% सहकारी प्रचार में जायेगा ।
 - (च) इन कटौतियों के बाद बची हुई राशि रिजर्व फंड में मिला दी जाएगी ।
 - (छ) यदि लाभ वितरण के उपयुक्त प्रणाली में कोई अदल-बदल करना आवश्यक समझा जाय तो सिर्फ एक वर्ष के लिए ऐसा किया जा सकता है, बशर्ते आमसभा की स्वीकृति तथा सहायक निबंधक/जिला सहकारिता पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो ।
 - (ज) प्रबन्धकारिणी कमिटी नियमों की उपयोगिता के लिए नियम बनायेगी और इन नियमों का सहायक निबंधक, जिला सहकारिता पदाधिकारी का अनुमोदन हो जाने के पश्चात् ही खर्च किया जायेगा ।
- 49. बचत पूँजी :- रिजर्व फण्ड का निर्माण निम्नलिखित ढंग से होगा ।
 - (क) 25% इन उपविधियों के अनुसार जमा होगा ।
 - (ख) अन्य लाभ की रकम जो इसमें मिला दी गई हो ।

- (ग) प्रारंभिक खर्च के बाद सभी प्रवेश शुल्क ।
- (घ) समिति द्वारा जन्त किये गये हिस्सों की राशि ।
- (ङ) जुर्माना की राशि ।
- (च) चन्दा ।

50. रिजर्व फण्ड पर समिति का अधिकार होगा और वह सदस्यों में बाँटा नहीं जायेगा । यह रकम सरकारी सिव्युरिटी, सेविंग्स बैंक सर्टिफिकेट, रिजर्व बैंक के हिस्सों स्टेट बैंक, को-आपरेटिव बैंक के हिस्से या अन्य संस्थाओं में जिसमें निबन्धक ने मंजूर किया हो, लगायी जा सकती है ।
51. रिजर्व फण्ड को निम्नांकित कार्यों में रजिस्ट्रार की अनुमति से लगाया जा सकता है :-
 - (क) अचानक यदि किसी प्रकार का घाटा समिति को लग जाय तो उसको पूरा करने में रिजर्व फण्ड से रुपया निकाला जाएगा, लेकिन दूसरे साल के मुनाफा से रिजर्व फण्ड से निकाला हुआ रुपया फिर पूरा कर दिया जायेगा ।
 - (ख) समिति को ऐसी जरूरत को पूरा करने में जो दूसरी तरह से भी पूरी नहीं हो सकती है । जब नयी वसूली होगी तो वह रकम पूरी कर दी जायेगी ।
 - (ग) जो रुपया समिति कर्ज लेगी उसकी जमानत रिजर्व फण्ड होगा । जब समिति टूट जायेगी तो रिजर्व फण्ड का रुपया समिति के सदस्यों की आम भलाई के कार्य में सदस्यों की बहुमत राय और निबन्धक की मंजूरी से खर्च किया जायेगा ।
52. **हिसाब-किताब :-** प्रबन्धकारिणी कमिटी उन सभी बहियों को पोषित करेगी जिसे निबन्धक ने स्वीकृत किया हो । प्रबन्धकारिणी कमिटी आवश्यकतानुसार हेर-फेर भी कर सकती है ।
53. अध्यक्ष अथवा एक या एक से अधिक प्रबन्धकारिणी कमिटी का सदस्य और सचिव प्रबन्धकारिणी कमिटी द्वारा प्राधिकृत होने पर संयुक्त रूप से अभिलेख या एकरारनामा, रसीद देने हिस्से का प्रमाण-पत्र हस्ताक्षरित करने, बैंक के कारोबार करने तथा जमा खर्च बही पर हस्ताक्षर समिति की ओर से करने में शक्तिमान होंगे । परन्तु सभी प्रकार की रसीदें जो समिति द्वारा निर्गत की जायेगी प्रबन्धकारिणी कमिटी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही हस्ताक्षरित होगी ।
54. समिति को कोई भी सदस्य, जहाँ तक समिति के साथ कारोबार का

- सम्बन्ध है, समिति की सभी बाहियाँ समिति के कार्यकाल में देख सकता है। प्रबंधकारिणी समिति कार्य करने का समय निर्धारित करेगी।
55. समिति को 31 मार्च को समाप्त वर्ष का आय-व्यय व्यापारिक खाता नफा नुकसान, देन पावना का चिट्ठा प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक बनाना होगा जिसके एक प्रति 15 मई तक निबन्धक तथा सहकारी ऑडिटर को देनी होगी।
56. किसी सदस्य को दी जानेवाली नोटिस जायज तरीके से दी गई समझी जायेगी यदि वह सदस्य के उस पता पर भेजा जाय जहाँ साधारणतया वह निवास करता है।
57. **उप-विधियाँ का संसोधन :-** उपविधियाँ में कोई संसोधन उसी सूरत में हो सकता है जबकि सभी सदस्यों को उसके लिए 10 दिन पूर्व सूचना दी गई हो और कम-से-कम दो तिहाई सदस्यों की राय से ऐसी सभा में मंजूर हुआ हो जिसमें समिति के कम-से-कम आधे सदस्य उपस्थित हों और खासकर आमसभा उसी काम के लिए बुलाई गई हो। कोई परिवर्तन तब तक अमल में नहीं लाया जायेगा जब तक निबन्धक इसे मंजूर न कर लें।
58. समिति जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, केन्द्रीय सहकारी अधिकांश, बिहार सहकारी संघ अथवा ऐसे अन्य संस्थाओं से सम्बन्ध होगी जो समिति के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।
59. प्रत्येक सदस्य को एक पासबुक दिया जायेगा और उसमें समिति के साथ उसके सारे कारोबार उल्लेखित रहेगा। उसे नियमित रूप से पोषित करना सदस्य की जिम्मेवारी होगी।
60. **समिति का विघटन :-** समिति सिर्फ निबन्धक के आदेश से जो अधिनियम की सम्बन्धित धारा के अनुकूल होगा, तोड़ी जा सकती है। समिति के कुल जिम्मेदारियों को अदा करने के बाद जो रुपया फालतु बचे वह आम फायदे के ऐसे कामों में लगाया जायेगा जिसको समिति के सदस्यों ने पसंद किया हो और जिसे निबन्धक ने मंजूर किया हो। अगर समिति के बिल्कुल बन्द हो जाने के तीन महीने के अंदर सदस्य किसी ऐसे काम को चुन न सके जिसे निबन्धक मंजूर करे तो निबन्धक इन फालतु रकम को उस समय किसी को-ऑपरेटिव बैंक या दूसरी

समिति में जमा करने के बाद उस जिला के गाँव में खर्च कर सकते हैं ।

61. **मुहर :-** समिति की एक आम मुहर होगी जो सचिव के अधिकार में रहेगी ।
62. समिति की उपविधियाँ का किसी धारा की व्याख्या में यदि कोई विवाद हो तो इस सम्बन्ध में निबंधक के निर्णय का बन्धन दोनों पक्षों पर होगा ।
63. ऐसी बातें जिसका जिक्र इन उपविधियों में नहीं हुआ हो बिहार को-आपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1935 और बिहार को-आपरेटिव सोसायटीज नियमावली, 1959 के उपबन्धों के अनुसार तय की जायेगी ।

स्थान

माह

वर्ष

तिथि

प्रार्थीगण का हस्ताक्षर